



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियोग में 05 अभियुक्तों को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 01 लाख रुपये अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 413/2014 धारा- 147,149,304,323,148,325,504,506 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सन्त सिंह पुत्र सवल सिंह यादव 2.सावन्त सिंह पुत्र सभाजीत सिंह यादव 3.जितेन्द्र सिंह पुत्र सामन्त सिंह यादव 4.विजय सिंह पुत्र सवल सिंह यादव 5.सुख सिंह पुत्र अमरनाथ यादव निवासीगण ग्राम बेरी थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास व 1,00,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री राजेश
कुमार तिवारी



विवेचक-
उ0नि0 गिरेन्द्र सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा
का0 रजनीश कुमार
यादव